

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। कि टी-स्टाल(केन्टीन)/साईकिल स्टेण्ड एवं वाग वहार की नीलामी हेतु दिनांक 7-6-19/20-6-19 नियत की गई थी, लेकिन कोई ठेकेदार नीलामी बोलने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। पुनः दिनांक 29-6-19 नियत की गई, लेकिन बोली सरकारी बोली से कम आई। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित टी-स्टाल (केन्टीन)/साईकिल स्टेण्ड/वाग वहार का सार्वजनिक नीलाम अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख दिनांक 15-7-2019 दिवस सोमवार दोपहर 3.00 बजे को किया जायेगा। टी-स्टाल (केन्टीन) एवं साईकिल स्टेण्ड का नीलाम, नीलामी दिनांक से दिनांक 31-3-2020 तक के लिये एवं वाग वहार का नीलाम दिनांक 1-7-19 से 31-3-2020 तक के लिये किया जायेगा। नीलाम की शर्तें निम्नवत हैं।

बोली बोलने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित प्रमाण पत्र बोली बोलने से पूर्व दिनांक 15-7-19 को पूर्वान्ह 12-00 बजे तक जमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। बोलीदाता को निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, तथा नीलाम की शर्तों को पूर्ण करना होगा।

- 1- जिलाधिकारी रामपुर द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (द्वय के लिये) जिसकी अवधि नीलाम तिथि को वैध हो।
- 2- जिलाधिकारी रामपुर द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र जो कम से कम 5,00,000/-रु० (दो वर्ष के लिये) जिसकी अवधि नीलाम तिथि को वैध हो।
- 3- बोलीदाता को नजारत विभाग कलेक्ट्रेट, रामपुर का टी-स्टाल(केन्टीन)/साईकिल स्टेण्ड की नीलामी में सम्मिलित होने हेतु रुपये 20,000/- तथा वाग वहार की नीलामी में सम्मिलित होने हेतु रुपये 5,000/- की धनराशि जमानत के रूप में एफ०डी०आर०/बैंकर्स चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट/नकद केश के रूप में प्रभारी अधिकारी नजारत के पक्ष में जमा करनी होगी।
- 4- बोलीदाता को नो ड्यूज प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5- नीलाम स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी रामपुर का होगा। नीलाम की धनराशि का 2.44 प्रतिशत आयकर एवं 4 प्रतिशत व्यापार कर एवं 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क नीलाम स्वीकृति पर नीलाम राशि के अतिरिक्त तत्काल जमा करना होगा।
- 6- बोली छुटने के पश्चात सर्वाधिक बोलीदाता को 1/4 धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि नीलाम स्वीकृति के उपरान्त जमा करना अनिवार्य होगा।
- 7- नीलाम की शेष धनराशि नियत अवधि में एक मुश्त जमा न करने पर ठेकेदार द्वारा जमा की गई धनराशि व 1/4 धनराशि जब्त करते हुये ठेका निरस्त करते हुये पुनः नीलाम कर दिया जायेगा और ठेकेदार से बकाया की वसूली भूराजस्व मालगुजारी के रूप में वसूल की जायेगी।
- 8- नीलाम स्वीकृति के उपरान्त अन्य व्यक्ति/संस्था को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।
- 9- वाग वहार के नीलाम में वी०वी०पी० निर्माण में आ रहे 04 पेडों को शामिल नहीं किया जा रहा है।
- 9- अन्य शर्तें नीलामी के समय कार्यालय से ज्ञात की जा सकती हैं।

दिनांक :- जुलाई 6, 2019

(सर्वेश कुमार गुप्ता)
नगर मजिस्ट्रेट/प्र०अ० नजारत
कृते जिलाधिकारी, रामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, रामपुर

संख्या 3914/नाजिर सदर

दिनांक 6 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इस नीलामी सूचना का हिन्दी/उर्दू के एक-एक दैनिक समाचार पत्रों में एक दिवस कराकर समाचार पत्र की एक-एक प्रति इस कार्यालय को नियत तिथि से पूर्व उपलब्ध कराने का कष्ट करें। नीलामी सूचना की एक अतिरिक्त प्रति एवं सी०डी० आपको भेजी जा रही है।
- 2- जिला सूचना अधिकारी रामपुर को दो दैनिक समाचार पत्र में सशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 3- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नीलाम का प्रचार प्रसार किये जाने हेतु जनपद की वेबसाइट पर डलवाना सुनिश्चित करें।
- 4- समस्त तहसीलदार जनपद रामपुर को तहसील नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 5- अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद रामपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 6- जिला पंचायत/ जिला विकास अधिकारी रामपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 7- केन्द्रीय नाजिर मा० जिला जजी रामपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
- 8- नाजिर सदर कलेक्ट्रेट रामपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 9- ओ०एस०डी० शिविर कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार गुप्ता)
नगर मजिस्ट्रेट/प्र०अ० नजारत
कृते जिलाधिकारी, रामपुर।